खंड 1 संख्या 137

राष्ट्र महिला

दिसम्बर 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

दिल्ली में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का सिलसिला थमने पर नहीं आता। दो मास के भीतर दो युवा लड़कियों का अपहरण और बलात्कार किया गया। कुछ समय पूर्व, कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की को अपहृत करके चलती हुई कार में उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था और इसके कुछ दिन बाद ही एक और युवा लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया। सुलतानपुरी की निवासी इस लड़की ने कुछ बदमाशों द्वारा किए गये कामुक कटाक्षों का विरोध किया था जिसके फलस्वरूप उसे बलात्कार का शिकार होना पड़ा।

यदि आंकड़ों पर निगाह डाली जाये तो, दिल्ली पुलिस के ऊँचे दावों के बावजूद, महिलाओं के लिए दिल्ली एक असुरक्षित नगर बना हुआ है यहां कम से कम एक बलात्कार प्रतिदिन होता है। इस वर्ष अब तक 433 बलात्कार के मामले यहां दर्ज हुए हैं।

परन्तु, पुलिस की अक्षमता के कारण यह समस्या और भी गहरी बन जाती है। सुलतानपुरी की इस घटना के बारे में लड़की के साथ के लड़के द्वारा पुलिस को फोन किए

चर्चा में बलात्कार

जाने के बावजूद छः सौ सिपाहियों को लड़की को खोजने में दो घंटे लगे। यदि उसके फोन पर तत्काल कार्यवाही की गयी होती तो शायद यह अपराध रोका जा सकता था। सच्चाई यह है कि जब लड़की के अपहरण के बारे में एक पी.सी.आर. को फोन कॉल कर दिया गया था, अपराधी लोग उसके बाद भी बाह्य दिल्ली की सड़कों पर खुले आम घूमते रहे। बलात्कार इसके एक घंटे बाद हुआ। इन जघन्य अपराधों के लगातार चलते, यह मांग स्वाभाविक ही है कि बलात्कारियों को अधिक कठोर दंड दिया जाये। परन्तु ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दंड की कठोरता की अपेक्षा यह आवश्यक है कि वे दंड से किसी भी प्रकार बच न पायें।

यह सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक बाते हैं मामले की बेहतर छानबीन, सक्षम अभियोजक, भेदभाव मुक्त वकील और सहानुभूतिपूर्ण न्यायपालिका। पीड़ित को सुरक्षा दिया जाना भी जरूरी है ताकि उसे न तो धमकाया जा सके और न ही खरीदा जा सके। साथ ही, बलात्कार के मामले त्वरित न्यायालयों के जरिये शीघ्र निबटाये जाने चाहिए। यदि बलात्कारी को उसके अपराध के तीन मास के भीतर सज़ा मिल जाये तो लोगों को भी विश्वास हो जायेगा कि देश का कानून महिलाओं की रक्षा करता है।

आरुषि की हत्या का मामला

आरुषि हत्या की जांच बंद किए जाने की रिपोर्ट पर अपना 'दुःख' प्रकट करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने आयोग कार्यालय में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। उन्होंने कहा कि यदि सी.बी.आई. जैसी प्रमुख जांच एजेंसी अपराधियों का पता लगाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करे तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। परन्तु उन्होंने न्यायपालिका में अपना पूर्ण विश्वास जताते हुए आशा व्यक्त की कि अपराधियों को सज़ा मिलेगी। डॉ. व्यास ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री तथा विधि मंत्री को इस आशय के पत्र लिखे हैं कि इस मामले में न्याय आश्वस्त किया जाये।

उन्होंने कहा कि बांदा जिले में शासक दल के नारायणी के एक विधायक द्वारा एक नाबालिग दलित लड़की के कथित बलात्कार का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने बांदा के एस.पी. से इस बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा है और एक स्वतंत्र जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है।

डॉ. गिरिजा व्यास प्रेस को सम्बोधित करते हुए

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के गत चार वर्षों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लॉयर्स कलेक्टिव, महिला अधिकार संरक्षण संस्थानों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड का समर्थन भी मिला।

भागीदारों का स्वागत करते हुए सुश्री इन्दिरा जयसिंह ने कहा कि लॉयर्स कलेक्टिव ने यह पूरी तरह महसूस कर लिया है कि यह आवश्यक है कि घरेलू हिंसा की मौजूदगी को माना जाये और तद्नुसार इसका सामना करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता को भी समझा जाये। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विवाहों को हिंसा से मुक्ति पाने का बीमा समझा जाता है, फिर भी इन कानूनों का सर्वाधिक उपयोग विवाहित महिलाएं ही करती हैं क्योंकि ससुराल में उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलते और किसी भी समय उन्हें घर से निकाला जा सकता है। अब समय आ गया है कि महिलाएं अपने ससुराल में अपने अधिकार की मांग करें।

इस अवसर पर बोलते हुए यूनिफेम की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री एनी एफ. स्टेनहेमर ने कहा कि उनका संगठन वंचनाग्रस्त महिलाओं के लिए काम करने और घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की लड़ाई लड़ने के प्रति वचनबद्ध है।

प्रधान भाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य-सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को घरों में हिंसक बर्ताव करने वालों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने का अधिकार देता है। विवाहित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, विधवाएं अथवा लिव-इन सम्बन्ध में रह रही महिलाएं राहत के लिए इस अधिनियम का उपयोग कर रही हैं। परन्तु यह खेद की बात है कि अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्यों के बीच समानता नहीं है क्योंकि बहुत से राज्यों ने समुचित संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायक नियुक्त नहीं

सदस्य-सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी दीप प्रज्वलित करते हुए। साथ में सुश्री इंदिरा जयसिंह, सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री एनी स्टेनहेमर और श्रीमती मीरा कुमार

किए हैं और न ही इस योजना के लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान किया है।

अपने उद्घाटन भाषण में लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने कहा कि यह बड़ी विरोधाभासी स्थिति है कि भारत में हम एक ओर तो महिलाओं को माँ दुर्गा की तरह पूजते हैं, किन्तु इसके बावजूद उन्हें घरेलू हिंसा, मान हत्या और भ्रूण हत्या का शिकार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 30% महिलाओं को घरेलू हिंसा भुगतनी पड़ती है, जिसका कारण यही है कि उन्हें कमज़ोर वर्ग समझा जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए सरकारी अभिकरण, मीडिया, सिविल समाज और गैर सरकारी संगठन एकजुट हो कर काम करें।

सदस्या यास्मीन अब्रार ने अपने धन्यवाद भाषण में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम को तृणमूल स्तर की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए इसका हिन्दी में अनुवाद किया जाना चाहिए। इससे पूर्व उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम पर तैयार की गयी रिपोर्ट की एक प्रति जारी की।

कार्यवाही सत्रों में मुख्यतः चौथी निगरानी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार व्यक्त किए गये। न्यायपालिका तथा पुलिस को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित करने की अतीव आवश्यकता महसूस की गयी और इस बात पर भी मतैक्य था कि यह जायज़ा लिया जाये कि इस अधिनियम से महिलाओं को कहां तक लाभ पहुंचा है।

साहस का प्रतीक

एक 15 वर्षीय आदिवासी लड़की को बीरभूम जिले के गांवों में इसलिए नग्न घुमाया गया कि उसका एक अन्य सम्प्रदाय के लड़के से प्रेम हो गया था। उसने अपने यंत्रणाकारियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस दिखाया, यद्यपि उसे डराया-धमकाया गया था कि पुलिस में न जाये। इस अनुकरणीय साहस के लिए उसे राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया।

उसके माता-पिता भी नहीं चाहते थे कि वह पुलिस में शिकायत लेकर जाये क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जायेगा। किन्तु फिर भी उस लड़की ने पुलिस की शिनाख्त परेड़ में अपराधियों की पहचान करने का साहस जुटाया।

कोट्टायम में मातृ दिवस समारोह

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कोट्टायम में कनन्य आर्क डायोसीस के मातृ दिवस समारोह के समापन उत्सव में भाग लिया।

डॉ. गिरिजा व्यास मातृ दिवस समारोह में उपस्थित विशाल जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए

इस रंगारंग समागम में कनन्य महिलाएं हज़ारों की संख्या में ओ.एल.एल. हायर सेकेंडरी स्कूल के बड़े खेल मैदान में जमा हुईं। समापन बैठक का सभापतित्व आर्क बिशप ऑफ डायोसीस मारक्किस मेथ्यु मूलकट्ट ने किया। बैठक का उद्घाटन करते हुए डॉ. व्यास ने इतनी बड़ी संख्या में जुटी माताओं के बीच अपनी उपस्थिति पर हर्ष का इजहार किया और भारत में महिलाओं की वर्तमान दुःखद स्थिति, उनकी समस्याओं तथा

श्रोतागण

शोषण पर विस्तार से प्रकाश डाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में प्राप्त अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि केरल में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों से कहीं अच्छी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को, सामान्यतः, अपना मातृत्व कर्त्तव्य निभाना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। सहायक बिशप ऑफ डायोसिस ने आठ महिलाओं को शिक्षा, राजनीति, खेल तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों पर पुरस्कृत किया।

बाद में, अध्यक्षा ने गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक करके इस पहलू पर चर्चा की कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए वे और क्या कदम उठा सकते हैं।

आयोग ने चुनाव अधिकारी पर आक्रमण का संज्ञान लिया

अलप्पुझा में एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि एक स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान मराईकुलम में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा महिला चुनाव अधिकारी पर कथित आक्रमण किए जाने पर सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने से उन्हें बहुत दुःख पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि आरोपियों पर पुलिस द्वारा तय किए गये आरोप बहुत कमज़ोर हैं और वे पहले ही जमानत पर छूट चुके हैं। एक प्रजातंत्र के लिए यह घटना बड़ी शर्मनाक है और केरल जैसे शिक्षित राज्य में ऐसा होना संत्रस्त करने वाली बात है।

डॉ. व्यास ने कहा कि आयोग राज्य सरकार तथा राज्य महिला आयोग से इस बारे में रिपोर्ट मांगेगा और पूछेगा कि क्या कार्यवाही की गयी है। राज्य महिला आयोग को बिना इसका ख्याल करते हुए कि राज्य सरकार ने क्या किया और कौन सा दल वहां इस समय सत्तारूढ़ है, अपनी स्वतंत्र कार्यवाही करनी चाहिए थी।

भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे, यह बात ध्यान में रख कर राज्य सरकार को इसे एक विशेष मुद्दा मान कर उपयुक्त कदम उठाने चाहिए थे।

अध्यक्षा ने कहा कि इस घटना की आगे जांच करने के लिए आयोग अलग से एक समिति गठित करेगा। इससे पूर्व, उन्होंने चुनाव अधिकारी टी. उषा से, जिस पर कि आक्रमण हुआ था, बात की।

सदस्यों के दौरे

● सदस्य-सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी बैंगलोर में सेंट्रल जेल का मुआयना करने गयीं। उन्होंने पाया कि जेल का प्रबंध अच्छा है और डॉक्टरी तथा मंत्रणा सुविधायें मौजूद हैं। सज़ायाफ्ता तथा विचाराधीन बंदी अपने साथ रह रहे बच्चों के लिए किए गये प्रबन्ध से संतुष्ट थे। परन्तु आर्थिक कार्यवाही अगरबत्ती बनाने, बेकरी तथा सिलाई प्रशिक्षण तक सीमित थी।

उन्होंने राज्य महिला आयोग की सदस्य-सचिव से भी भेंट की और राष्ट्रीय महिला आयोग की सुरक्षा योजना के बारे में उन्हें बताया जिसके अंतर्गत तेज़ाब के हमले की शिकार तथा जल जाने से मर गयी गरीब महिलाओं को 20,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

उन्होंने गैर सरकारी संगठन 'वनिता सहायवाणी' द्वारा बैंगलोर पुलिस के सहयोग से चलाए जा रहे परिवार मंत्रणा केन्द्र का दौरा भी किया। यह संगठन बैंगलोर पुलिस की वित्तीय सहायता से एक हेल्पलाइन 12 घंटे प्रतिदिन चलाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से एक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन की स्थापना का सुश्री चटर्जी के विचार का बहुत स्वागत किया गया।

बाद में, वह राज्य के मुख्य गृह सचिव से मिलीं और उनसे आग्रह किया कि पुलिस कांस्टेबलों तथा अधिकारियों के पदों पर अधिक महिलाओं की भर्ती की जाये।

● सुश्री चटर्जी लखनऊ में नारी बंदी निकेतन देखने भी गयीं। उन्होंने पाया कि यहां साफ-सफाई तथा अन्य प्रबंध अच्छा है और 26 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है। यहां 252 सज़ायाफ्ता और 75 विचाराधीन महिला बंदी थीं। 252 में से 113 बंदी 40-60 के आयु-वर्ग में थीं और विचाराधीन बंदियों में एक बड़ी संख्या धारा 498-क के अंतर्गत आती थी। एक क्रेच तथा नर्सरी स्कूल भी था और बंदियों को सिलाई, कढ़ाई, खाद्यानों की सफाई एवं पैकिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था।

बाद में, सुश्री चटर्जी ने उत्तर प्रदेश के महा-पुलिस निदेशक श्री कर्मवीर सिंह से भेंट कर राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों की स्थिति पर विचार-विमर्श किया। महा-पुलिस निदेशक ने बताया कि 50% अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के अंतर्गत तथाकथित अपहरण के हैं। अधिकतर परस्पर सहमति के मामले होते हैं और इसलिए पुलिस के लिए समस्या पैदा करते हैं क्योंकि लड़का-लड़की राज्य से बाहर चले जाते हैं और बालिग लड़कियों की बरामदगी सम्भव नहीं होती। परिणामस्वरूप, मामले लम्बित पड़े रहते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मुद्दे पर विचार करे और बदलते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप कानूनों में संशोधन किए जाने की सिफारिश करे।

सुश्री चटर्जी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना है और 35,000 पुलिस कर्मियों की नवीनतम भर्ती में 20% स्थान महिलाओं के लिए होंगे। सुश्री चटर्जी ने सुझाव दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार महिला पुलिस संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करे।

सुश्री चटर्जी राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव से भी मिलीं जिन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम केन्द्र सरकार का अधिनियम है और इसलिए इसका समुचित क्रियान्वयन किए जाने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

गैर सरकारी संगठन कॉलम

त्रिपुरा से श्री अमृता सूदन चक्रवर्ती लिखते हैं : "हमारे संगठन *मानव* ने 'त्रिपुरा में विवाहों का पंजीकरण' विषय पर अध्ययन हाथ में लिया है। त्रिपुरा में 2004 से विवाहों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे संगठन का मानना है कि विवाहों का पंजीकरण महिलाओं को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की दिशा में बहुत सहायक होगा और उनके सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। अपना शोध प्रारम्भ करने के लिए हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक अर्जी दायर की है जिसका उत्तर अपूर्ण है और दर्शाता है कि त्रिपुरा राज्य विवाहों का 100% पंजीकरण कराने में असफल रहा है। इस संबंध में दूसरी अपील त्रिपुरा सूचना आयोग को भेजी गयी जिसकी सुनवाई 2.1.2011 को है। हमारा यह छोटा सा प्रयास त्रिपुरा में महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए है।"

नोट : महिलाओं के सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए, राष्ट्र महिला की इस प्रति के साथ हम एक 'गैर सरकारी संगठन कॉलम' का सूत्रपात कर रहे हैं जिसमें इन संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण की वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों एवं उनके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए किए गये उपायों को परिलक्षित किया जायेगा। आप अपने अनुभव भेजने के लिए आमंत्रित हैं।

- सम्पादक

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।